GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

P.O. No. 73 of 2021 **New Delhi, Dated: 13.09.2021**

Following transfers/postings are ordered with immediate effect:-

(i) Ms. Ravi Bala Gupta, presently working as Dy. Director (OL)/RCT/Delhi is transferred to Board's Office and posted as Dy. Director(OL)/Railway Board, and

(ii) Smt. Meena Chawla, Dy. Director (OL)/Railway Board, is transferred to RCT/Delhi and posted as Dy. Director (OL)/RCT/Delhi vice (i) above.

(Anurag Tripathi)
Under Secretary (Estt.) III
Railway Board

The Pay & Accounts Officer,
Railway Board.

Copy to:

1. OSD/MR, OSD/Coord./MR,PS/MOSR(D), EDPG/MOSR(D), DPG/MOSR(J).
2. PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs to CRB &CEO, MF, Secy, AM/Staff, PED(Vig.), JS(G), JS, EDE(Res), Dir.(Admn.), Dir.(GA), Dir(OL), Dir(E), US(Conf.), US(O&M), US(D), US(G), US(A), US(A) II, Railway Board.
3. Cash-I, II, G(Pass), G(Acc), Library, O&M, ERB-II, III, IV, VI, Reception, Vig.(C), SSE(Power), Telecom, TO and OL-I, Railway Board.
4. Hon'ble Chairman, Railway Claims Tribunal, 13/15, Mall Road, Delhi-54.
5. Member (Judicial), Railway Claims Tribunal, 13/15, Mall Road, Delhi-54.
6. The Registrar, Railway Claims Tribunal, 13/15, Mall Road, Delhi-54.
7. Railway Board Computer Centre for uploading on official website.
8. Hindi version will follow.
9. Officers Concerned.

{No. ERB-I/2007/3/18(E)}

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

2021 का तैनाती आदेश सं.73 नई दिल्ली, दिनांक: 13.09.2021

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे:

(i) सुश्री रवि बाला गुप्ता, जो इस समय उप निदेशक (राजभाषा)/आरसीटी/दिल्ली के रूप में रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में कार्यरत हैं, को बोर्ड कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए उप निदेशक (राजभाषा)/रेलवे बोर्ड के रूप में तैनात किया जाता है; और

(ii) सुश्री मीना चावला, उप निदेशक (राजभाषा)/रेलवे बोर्ड को स्थानांतरित करते हुए उपर्युक्त (i) के स्थान पर रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में उप निदेशक (राजभाषा)/आरसीटी/दिल्ली के रूप में तैनात किया जाता है।

(अनुराग त्रिपाठी)
अवर सचिव (स्थापना)-।।।
रेलवे बोर्ड

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. ओएसडी/एमआर, ओएसडी/कोआर्ड./एमआर, पीएस/एमओएसआर (डी), ईडीपीजी/एमओएसआर (डी), डीपीजी/एमओएसआर (जे)
2. सीआरबी एवं सीईओ, सदस्य वित्त, सचिव, अपर सदस्य/कार्मिक, पीईडी/सतर्कता, संयुक्त सचिव(जी), संयुक्त सचिव, कार्य. निदे. स्थापना (आर.), निदेशक (जीए), निदेशक (प्रशा.), निदेशक (राजभाषा), निदेशक (स्थापना), अवर सचिव(सी), अवर सचिव (ओ एंड एम), अवर सचिव (डी), अवर सचिव (जी), अवर सचिव(ए), अवर सचिव(ए)।। रेलवे बोर्ड के पीएसओ/वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव।
3. रेलवे बोर्ड की रोकड़-।, ।।, ईआरबी-।।, ।।।, IV, V, VI, ओ एंड एम, जी (पास), जी (आवास), लाइब्रेरी, दूरसंचार, सतर्कता (गोपनीय) एसईई (पावर), टीओ और राजभाषा-। शाखा।
4. माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, 13/15, माल रोड-दिल्ली-110054
5. सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, 13/15, माल रोड-दिल्ली-110054
6. रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, 13/15, माल रोड-दिल्ली-110054
7. रेलवे बोर्ड कंप्यूटर केंद्र को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अधिकारी।

{(सं.ईआरबी-।/2007/3/18 (ई)}